भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न सं. 154*

(13 फरवरी, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए)

पीएमजीएसवाई-IV का कार्यान्वयन और प्रगति

154*. श्री चुन्नीलाल गरासिया:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना-चरण IV (पीएमजीएसवाई-IV) के अंतर्गत लक्षित 25,000 संपर्क रहित बस्तियों के लिए सड़क के निर्माण संबंधी स्वीकृति की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) सितंबर, 2024 में स्वीकृति मिलने के बाद से पीएमजीएसवाई-IV योजना के अंतर्गत बारहमासी सड़क के निर्माण में अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ग) पीएमजीएसवाई-II और पीएमजीएसवाई-III के अंतर्गत सड़क के उन्नयन का विद्यालयों, स्वास्थ्य केंद्रों और परिवहन सुविधाओं तक पहुँच पर पड़े प्रभाव का आकलन किस प्रकार किया गया है और इसके निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है;

(घ) पीएमजीएसवाई-IV के अंतर्गत विकास केंद्रों की पहचान के लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं; और

(ङ) पीएमजीएसवाई के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों के निर्माण और रखरखाव की निगरानी हेतु ई-मार्ग प्लेटफॉर्म का उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है?

उत्तर

ग्रामीण विकास मंत्री

(श्री शिवराज सिंह चौहान)

(क) से (ङ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

राज्य सभा में दिनांक 13.02.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत तारांकित प्रश्न संख्या 154* के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख): प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) को देश की पात्र संपर्कविहीन बसावटों को सड़क संपर्कता प्रदान करने हेतु एकबारगी विशेष प्रावधान के रूप में वर्ष 2000 में शुरु किया गया था। नया चरण, पीएमजीएसवाई-IV को जनगणना 2011 के अनुसार, मैदानी क्षेत्रों में 500 से अधिक, पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, विशेष श्रेणी के क्षेत्रों (जनजातीय अनुसूची V आकांक्षी जिले/ब्लॉक, रेगिस्तानी क्षेत्र) में 250 से अधिक और 9 राज्यों में वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित जिलों (गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचित क्षेत्रों) में 100 से अधिक आबादी वाली लगभग 25,000 संपर्कविहीन बसावटों को सड़क संपर्कता प्रदान करने के लिए 62,500 किलोमीटर बारहमासी (एकल लेन) सड़कों का निर्माण करने के लिए शुरु किया गया था। पीएमजीएसवाई चरण-IV का कार्यान्वयन वित्तीय वर्ष 2024-2025 से 2028-2029 तक किया जा रहा है। केंद्र सरकार, पीएमजीएसवाई-IV के तहत प्रस्ताव प्रस्तुत करना सरल बनाने के लिए राज्यों के साथ गहन समन्वय में कार्य कर रही है। अब तक पीएमजीएसवाई-IV के अंतर्गत 2,882 सड़क कार्यों को स्वीकृति प्रदान की गई है, जिनकी कुल लंबाई 10,577.70 किलोमीटर है। स्वीकृत कार्यों के संबंध में वर्तमान में निविदा प्रक्रिया विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में विभिन्न चरणों में है। अब तक, जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र ने कार्यों के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू कर दी है, जबकि शेष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में यह प्रक्रियाधीन है। अतः राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा निविदा प्रक्रिया को अंतिम रूप देने के बाद वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति प्राप्त होना शुरू होगी। पीएमजीएसवाई-IV की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	स्वीकृत सड़क कार्यों की संख्या	स्वीकृत सड़क की लंबाई (कि.मी. में)	स्वीकृत पुल कार्यों की संख्या
1	छत्तीसगढ़	774	2,426.875	0
2	हिमाचल प्रदेश	294	1,538.058	0
3	जम्मू और कश्मीर	316	1,781.334	0
4	राजस्थान	1,216	3,218.971	1
5	सिक्किम	96	384.267	0
6	उत्तराखंड	184	1,228.198	0
	कुल	**2,880**	**10,577.703**	**1**

(ग): पीएमजीएसवाई के संबंध में नीति आयोग, भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद (आईआईआईएम-ए), विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) और बिरला इंस्टिट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी एंड साइंस (बीआईटीएस), पिलानी द्वारा किए गए विभिन्न स्वतंत्र मूल्यांकन अध्ययनों से यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ है कि पीएमजीएसवाई ने शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुँच को बेहतर बनाया है, कृषि एवं गैर-कृषि दोनों क्षेत्रों में रोजगार सृजित किए हैं, और किसानों को अपनी उपज के बेहतर मूल्य प्राप्त करने आदि में मदद की है। पीएमजीएसवाई की सड़कों ने बच्चों, विशेष रूप से लड़कियों, को प्राथमिक शिक्षा के बाद भी अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए हैं। स्वास्थ्य सुविधाएँ लोगों के लिए अधिक सुलभ हुई हैं। सरकारी अस्पतालों में प्रसव की संख्या बढ़ने से महिलाएँ इसकी सबसे बड़ी लाभार्थी रही हैं; और वित्तीय निर्णय लेने में उनकी भागीदारी बढ़ी है, जो उनकी बाज़ार तक बढ़ी हुई पहुँच में परिलक्षित होता है।

पीएमजीएसवाई के तहत लगभग 6,96,620 सुविधाओं तक सड़क संपर्क प्रदान किया गया है, जिनमें 1,38,637 कृषि बाजार, 1,46,784 शैक्षणिक केंद्र, 82,806 चिकित्सा केंद्र और 3,28,393 को परिवहन हब आदि से जोड़ा गया है।

पीएमजीएसवाई-II के तहत, 50,000 कि.मी. के लक्ष्य की तुलना में 49,777.70 कि.मी. सड़क और 759 पुल स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 49,093.10 कि.मी. सड़क और 750 पुल पूरे किए जा चुके हैं।

पीएमजीएसवाई-III के तहत, 1,25,000 कि.मी. के लक्ष्य की तुलना में 1,22,322.5 कि.मी. सड़क और 3,211 पुल स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 1,03,554.80 कि.मी. सड़क और 1,776 पुल पूरे किए जा चुके हैं।

(घ): पीएमजीएसवाई-IV का प्राथमिक उद्देश्य जनगणना 2011 के अनुसार, मैदानी क्षेत्रों में 500 से अधिक, पहाड़ी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और पूर्वोत्तर क्षेत्र, विशेष श्रेणी के क्षेत्रों (जनजातीय अनुसूची V आकांक्षी जिले/ब्लॉक, रेगिस्तानी क्षेत्र) में 250 से अधिक और 9 राज्यों में वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित जिलों (गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचित क्षेत्र) में 100 से अधिक आबादी वाली लगभग 25,000 सड़क संपर्कविहीन बसावटों को बारहमासी सड़क संपर्कता प्रदान करना है।

पीएमजीएसवाई-IV के अंतर्गत “पीएमजीएसवाई ग्राम सड़क सर्वेक्षण ऐप” नामक एक मोबाइल एप्लिकेशन बनाया गया है, जिसका उपयोग संपर्कविहीन बसावटों तक संभावित सड़क मार्गों की पहचान हेतु किया जाता है। ट्रान्सेक्ट वॉक से प्राप्त डेटा के विस्तृत विश्लेषण के लिए विस्तृत डेटाबेस के साथ पीएम गति शक्ति पोर्टल उपलब्ध है और यह प्रारंभिक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने की सुविधा प्रदान करता है। डेटा दर्ज होने के पश्चात राज्य स्तर पर इसका सत्यापन किया जाता है और फिर जियो सड़क पर अपलोड किया जाता है।

राज्य ग्रामीण सड़क विकास एजेंसियों को यह सुनिश्चित करना होता है कि सत्यापित प्रस्ताव पीएमजीएसवाई-IV के उद्देश्यों के अनुरूप हों।

पीएमजीएसवाई-IV के तहत शामिल की जाने वाली सड़क संपर्कविहीन बसावटों को नीचे दी गई जानकारी के अनुसार प्राथमिकता दी जाएगी:

प्राथमिकता सं.	**जनसंख्या का आकार**
I (क)	**धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत** 2011 की जनगणना के अनुसार-500 या उससे अधिक आबादी और 50% या उससे अधिक अनुसूचित जनजाति आबादी - 2011 की जनगणना के अनुसार आकांक्षी जिलों में 250+ आबादी श्रेणी में 50 या उससे अधिक अनुसूचित जनजाति आबादी
I (ख)	**प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-अजय) के तहत** 2011 की जनगणना के अनुसार - 500 या उससे अधिक आबादी और 40% या उससे अधिक की अनुसूचित जाति आबादी
II	पीएमजीएसवाई-IV के अनुसार पात्र आबादी आकार और केंद्र सरकार की अभिसरण योजनाओं के तहत ग्रामीण सड़क घटक वाली (ग्रामीण विकास विभाग द्वारा समय-समय यथा निर्धारित)
III	1000+
IV	500-999
V	250-499
VI	100-249

(ङ) ग्रामीण सड़कों का इलेक्ट्रानिक रखरखाव (ई-मार्ग) प्लेटफॉर्म एक समग्र ई-गवर्नेंस प्रणाली है, जिसका उपयोग पूरे देश में पीएमजीएसवाई के तहत निर्मित ग्रामीण सड़कों की निगरानी, गुणवत्ता नियंत्रण और रखरखाव के लिए किया जाता है। इस प्लेटफॉर्म में मुख्य रूप से पांच वर्षीय दोष सुधार दायित्व अवधि (डीएलपी) और उसके बाद कार्य निष्पादन आधारित रखरखाव संविदाओं के माध्यम से रखरखाव को शामिल किया गया है।

ई-मार्ग के तहत, क्षेत्रीय अभियंताओं और गुणवत्ता निरीक्षणकर्ताओं द्वारा मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग करके डिजिटल रूप से सड़कों का निरीक्षण किया जाता है, जिसमें जियो-टैग किए गए और टाइम-स्टैम्प लगे फोटोग्राफ सिस्टम पर अपलोड किए जाते हैं। निरीक्षण के निष्कर्षों को वास्तविक समय पर अद्यतन किया जाता है, जिससे परियोजना कार्यान्वयन इकाइयों (पीआईयू) और राज्य प्राधिकारियों को सड़क की स्थिति और रखरखाव की गुणवत्ता की निरंतर निगरानी करने में मदद मिलती है। यह प्लेटफॉर्म निर्धारित रखरखाव मानकों के अनुपालन का आकलन करने के लिए निरीक्षण डेटा के आधार पर स्वचलित प्रदर्शन मूल्यांकन का उपयोग करता है, जिससे गुणवत्ता नियंत्रण में पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित होती है।

इसके अलावा, इस प्रणाली में रखरखाव के भुगतान को प्रमाणित कार्य निष्पादन से जोड़ा गया है, जिसमें निरीक्षण के परिणामों के आधार पर बिलों पर ऑनलाइन कार्रवाई की जाती है। ई-मार्ग जिला, राज्य और राष्ट्रीय-स्तर की निगरानी के लिए केंद्रीकृत डैशबोर्ड और जियो-संदर्भित डेटा भी प्रदान करता है और यह क्यूआर कोड और शिकायत निवारण तंत्र के माध्यम से नागरिकों की प्रतिक्रिया को भी एकीकृत करता है, जिससे ग्रामीण सड़कों के संबंध में पारदर्शिता, जवाबदेही और निरंतर रखरखाव को बढ़ावा मिलता है।
